रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082020-221467
CG-DL-E-31082020-221467

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2020/भाद्र 9, 1942
No. 348] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2020/BHADRA 9, 1942

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

### (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2020

**फा.सं. स्टैंडर्ड्स/ओरगनिक/अधिसूचना-01/एफ.एस.एस.ए.आई-2019.**—खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) विनियम, 2017 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, करने के लिए इन विनियमों का प्रारूप इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्द्वारा प्रकाशित करती है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

**प्रारूप विनियम**

1. (1) इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) संशोधन विनियम, 2020 कहा जा सकता है।

(2) ये इनके कार्यान्वयन की तिथि से लागू होंगे, जो कि पहली जनवरी अथवा पहली जुलाई होगी और यह इनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तिथि से न्यूनतम 180 दिन होगी।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य) विनियम, 2017 मे, -

(i) विनियम 4 के उप-विनयीयम (2) के पश्चात , निम्नलिखित को रखा जाएगा , अर्थात ; -

"(3) संकलक या मध्यस्थ जो छोटे मूल उत्पादक या उत्पादक संगठन से जैविक खाद्य एकत्र करते हैं और इसे अंतिम उपभोक्ता को सीधे बेचते हैं, उन्हें उप-विनियमन (1) में उल्लिखित प्रणालियों के प्रावधानों से छूट दी जाती है। वे ट्रेसबिलिटी के रिकॉर्ड बनाए रखेंगे और उप विनियम (1) में उल्लिखित प्रणालियों में से किसी एक के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। इस तरह के उत्पाद पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का जैविक लोगो नहीं लग सकेगा। "

(ii) विनियम 5 के उप-विनयीयम (2) के पश्चात , निम्नलिखित को रखा जाएगा , अर्थात ; -

"(3) पीजीएस-भारत के तहत रूपांतरण उत्पादों को 'पीजीएस-ग्रीन' के रूप में लेबल किया जा सकता है और उन्हें "कार्बनिक में रूपांतरण" के रूप में भी लेबल किया जा सकता है। एनपीओपी के तहत रूपांतरण उत्पादों को "कार्बनिक में रूपांतरण" के रूप में लेबल किया जा सकता है और रूपांतरण के वर्ष का उल्लेख किया जाएगा। इस तरह के रूपांतरण उत्पाद पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का जैविक लोगो नहीं लग सकेगा।"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./202/2020-21]

**टिप्पण–** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. सीपीबी/03/ स्टैंडर्ड्स/एफएसएसएआई/2016 , तारीख 29 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th August, 2020

**F.No. Stds/Organic/Notification-01/FSSAI-2019.—**The draft of regulations further to amend the Food Safety and Standards (Organic Foods) Regulation, 2017 which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92 read with sub-section (3) of section 22 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published, as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002 or send it to the e-mail address of the Food Authority at regulation@fssai.gov.in ;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period specified above shall be considered by the Food Authority.

**Draft Regulations**

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Organic Foods) Amendment Regulations, 2020.

   (2) They shall come into force with effective date for implementation to be either 1st January or 1st July subject to a minimum of 180 days from the date of their final publication in the official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Organic Foods) Regulation, 2017, -

   (i) in regulation 4, after sub-regulation (2), the following shall be inserted, namely; -

   "(3) Aggregators or Intermediaries who collect organic food from small original producer or producer organization and sell it to the end consumer directly are exempted from the provisions of the systems referred in sub-regulation (1). They shall maintain records of traceability and comply with the provisions of anyone of the systems mentioned in sub Regulations (1). Such products shall not carry Food Safety and Standard Authority of India's organic logo."

   (ii) in regulation 5, after sub-regulation (2), the following shall be inserted, namely; -

   "(3) In-conversion products under PGS-India may be labelled as 'PGS-Green' and may also be labelled as "In-conversion to organic". Conversion products under NPOP may be labelled as "In-conversion to organic' and shall mention the year of conversion. Such In-conversion products shall not carry Food Safety and Standard Authority of India's organic logo."

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer
[ADVT. III/4/Exty./202/2020-21]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. CPB/03/Standards/FSSAI/2016, dated the 29th December, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.